न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3667–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 6–10–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर, प्रकरण कमांक 115/अपील/2011–12

—

1–रसाल पिता कंवरसिंह पंवार मृत तर्फे वारिसान
(अ) लीलाबाई पति स्व0श्री रसाल पंवार
(ब) अनारसिंह पिता स्व0श्री रसाल पंवार
निवासीगण ग्राम लोहारिया तहसील झिरन्या जिला खरगोन
(स) मायाबाई पिता स्व0श्री रसाल पंवार पति देवीसिंह
निवासी अमितेष नगर ए.बी.रोड इंदौर
(द) रेखाबाई पिता स्व0श्री रसाल पंवार पति काशीराम
(ई) प्रकाश पिता स्व0श्री रसाल पंवार
निवासीगण 13 मायापुरी कालोनी,मालवीय नगर के सामने,
इंदौर म0प्र0
2–बसंत पिता स्व0 बाबूलाल पंवार
निवासी ग्राम लोहरिया तहसील झिरन्या जिला खरगोन

.....आवेदकगण

विरूद्ध

काशीराम पिता मांग्या मृत तर्फे वारिसान
(अ) गुलाब पिता स्व0काशीराम
(ब) श्रीचंद पिता स्व0काशीराम
(स) जगदीश पिता स्व0काशीराम
निवासी ग्राम पिवड़ाय कम्पेल गॉव के पास
तहसील व जिला इंदौर
(द) रामचन्द्र पिता स्व0काशीराम
निवासी मकान नम्बर 70 गली नं.6 राजा पांचाल का मकान
बड़ी शिवबाग कालोनी खजराना इंदौर
(ई) किशोर पिता स्व0 काशीराम
निवासी ग्राम लोहारिया तहसील झिरन्या जिला खरगोन

.....अनावेदकगण

———

श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री सुनील जाटवा, अभिभाषक, अनावेदकगण

———

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/3/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश 6–10–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण कमांक 1 के पूर्वज रसाल पंवार एवं आवेदक कमांक 2 द्वारा तहसीलदार झिरन्या के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम लोहारिया तहसील झिरन्या स्थित भूमि सर्वे नम्बर 55 रकबा 1.901 हेक्टेयर, सर्वे नम्बर 69 रकबा 0.129 हेक्टेयर एवं सर्वे नम्बर 74 रकबा 0.061 हेक्टेयर मृतक भूमिस्वामी सीताबाई के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है । सीताबाई की लगभग 10–12 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है । सीताबाई रसाल पंवार की भाभी एवं बंसत की बडी मॉ होकर उनके साथ रहती थी । वे प्रश्नाधीन भूमि पर काबिज होकर कृषि कार्य कर रहे है । उपरोक्त भूमि पर काशीराम द्वारा अपना नामान्तरण कराया गया था, जो कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 11–01–2010 को आदेश पारित कर निरस्त किया जा चुका है और मृतक भूमिस्वामी सीताबाई का नाम पुनः लागू हो चुका है, अतः प्रश्नाधीन भूमि पर उनका नामान्तरण स्वीकार किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 78/अ–6/2010–11 दर्ज कर दिनांक 20–6–11 को आदेश पारित किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि पर मृतक रसाल पंवार एवं बसंत के नाम नामान्तरण स्वीकृत किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 24–9–2011 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 6–10–2015 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय के आदेश निरस्त किये जाकर अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) अपर आयुक्त के समक्ष प्रकरण प्रचलित रहने के दौरान दिनांक 5–1–14 को अनावेदक काशीराम की मृत्यु हो गई थी और उसके वारिसानों को अभिलेख पर लाये बिना अपर आयुक्त द्वारा आदेश पारित किया गया है, अतः मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित आदेश इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) उभयपक्ष के मध्य व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 भीकनगॉव के समक्ष व्यवहार वाद कमांक 43–ए/2011 में पारित निर्णय दिनांक 27–8–15 के चरण कमांक 31 व 32 में स्व0काशीराम को मृतक भूमिस्वामी सीताबाई का दत्तक पुत्र मान्य किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि पर उसका स्वत्व माना गया है और तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 20–6–2011 को वैधानिक माना गया है, अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार रहित आदेश है।

(3) अपर आयुक्त द्वारा संहिता की धारा 177 के प्रावधानों को समझने में त्रुटि की गई है क्योंकि उक्त धारा लावारिस मृत भूमिस्वामियों पर लागू होता है, लाऔलाद मृत भूमिस्वामियों पर लागू नहीं होती है, और आवेदकगण मृत भूमिस्वामी सीताबाई के वारिस प्रमाणित है ।

(4) अनावेदकगण के पूर्वज मृत काशीराम द्वारा अवैधानिक रूप से प्रश्नाधीन भूमि पर अपना नामान्तरण कराया गया था, जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार न्यायालय के आदेश स्थिर रखते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदक कमांक 1 के पूर्वज रसाल एवं आवेदक कमांक 2 बसंत द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर लगभग 10–12 वर्ष से कृषि कार्य करने के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र

प्रस्तुत किया गया, और तहसीलदार द्वारा बिना इस वैधानिक स्थिति की जॉच किये कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक कमांक 1 के पूर्वज रसाल एवं आवेदक कमांक 2 बसंत द्वारा अपने स्वत्व को प्रमाणित नहीं किया गया है, और न ही मृत भूमिस्वामी के वारिस होने के तथ्य को प्रमाणित किया गया है, केवल कब्जे के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर उनके नामांतरण स्वीकृत किया गया है, जो कि पूर्ण अवैधानिक एवं अनुचित कार्यवाही है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी उपरोक्त स्थिति पर बिना विचार किये तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखने में विधि की गंभीर भूल की गई है । जहॉ तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है, अपर आयुक्त द्वारा भी आदेश पारित करने में इस वैधानिक स्थित पर कोई विचार नहीं किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि पर उभय पक्ष द्वारा अपने स्वत्व को प्रमाणित नहीं किया गया है, और प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी की लाऔलाद मृत्यु हुई है तथा वास्तव में उसका कोई वारिस नहीं है, अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता थी कि तहसीलदार प्रश्नराधीन भूमि पर आवेदकगण का नामांतरण नहीं कर संहिता की धारा 177 के अंतर्गत कार्यवाही करते, परन्तु उनके द्वारा इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है । अतः इस प्रकरण में वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि संहिता की धारा 176 (3) के अंतर्गत प्रश्नाधीन भूमि को शासकीय घोषित किया जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–10–15, अनुविभागीय अधिकारी, भीकनगांव जिला खरगोन द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–9–2011 एवं तहसीलदार, झिरन्या जिला खरगोन द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–6–2011 निरस्त किये जाकर प्रश्नाधीन भूमि संहिता की धारा176 (3) के अंतर्गत शासकीय घोषित की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर